[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 29/2019- सीमा शुल्क
नई दिल्ली, दिनांक 04 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ).**-** जहां कि **"**रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलीन और रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल**"** (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद **[**1511 90 10**]** या टैरिफ मद **[**1511 90 20**]** के अंतर्गत आते हैं, के आयात से संबंधित मामले में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 9 के अनुसार प्रारंभिक मामला संख्या (SG) 04/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 14 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत जांच का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि अधिसूचना **(**द्विपक्षीय सुरक्षा जांच**)** वाद संख्या (SG) 04/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 26 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा जारी द्विपक्षीय सुरक्षा जांच के प्राथमिक निष्कर्षों में महानिदेशक ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि :-

(क**)** भारत में विषयगत वस्तु के आयात में काफी वृद्धि हुई है । मलेशिया से उक्त विषयगत वस्तु का आयात 2016-17 के 626,362 मैट्रिक टन से बढ़कर जनवरी से जून, 2019 तक की अवधि में 2,596,225 मैट्रिक टन (वार्षिक आधार पर) हो गया था । इस प्रकार इसमें 314 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है।

(ख**)** आयात के त्रैमासिक प्रगति से जाहिर होता है कि अक्तूबर-दिसम्बर, 2018 में केवल 27,206 मैट्रिक टन का आयात हुआ था जो कि अप्रैल-जून, 2019 में बढ़कर 804528 मैट्रिक टन हो गया । इस प्रकार इसमें 29 गुना वृद्धि हुई है ।

(ग**)** कीमतों के कम रहने से ऐसे आयात में जो वृद्धि हुई है उससे जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में बहुत अधिक शिथिलता आई है ।

(घ**)** यद्यपि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता बहुत अधिक है, फिर भी विषयगत वस्तु की घरेलू मांग के बढ़ने के बावजूद ये विषयगत वस्तु के उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं कर सके हैं ।

(ङ**)** बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा बहुत ही कम हो गया है ।

और उनका प्रारंभिक निष्कर्ष यह है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां विद्यमान है जिससे कि यदि सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने में विलंब हुआ तो घरेलू उत्पादकों को अपूर्णीय क्षति हो सकती है और

उन्होंने भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया में मूलत: उत्पादित विषयगत वस्तु के आयात पर सीमा शुल्क की दर में 180 दिनों के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011, जिसे सा.का.नि. 499 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करके भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया में मूलत: उत्पादित और वहां से आयातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क की दर में 180 दिनों के लिए 5**%** की वृद्धि करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,**-**

(i) क्रम संख्या 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"130क	151190	सभी वस्तुएं	50.0**";**

(ii) सारणी के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 130 में निहित कोई भी बात और उनसे संबंधित प्रविष्टियां 2 मार्च, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू नहीं होगीं ।

बशर्ते और भी कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 130क में निहित कोई भी बात और उससे संबंधित प्रविष्टियां 03 मार्च, 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगीं**"**

(फाइल संख्या 354/132/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011 को सा.का.नि 499 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 84/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि 1259 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।